

क्रमांक:— एफ.7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2025-19470-6757218

आदेश

राज्य के राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में अकादमिक सत्र 2025–26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है। अकादमिक सत्र 2025–26 के लिए प्रवेश नीति को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान किया जाना है। प्रवेश नीति के लिए संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों एवं अन्य हितधारकों से दिनांक 15.01.2025 तक सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। सभी हितधारक अपने सुझाव jdacad.cce@rajasthan.gov.in पर भेज सकते हैं। सुलभ संदर्भ हेतु वर्तमान प्रवेश नीति (शैक्षणिक सत्र 2024–25) विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/hteCircular/admission%20policy%202024-2025.pdf> पर उपलब्ध है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान।
7. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

General Letter Admission

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर
Signature valid
Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.26 21:30:44 IST
Reason: Approved

